Proceeding of Environmental Public Hearing organized by HP State Pollution Control Board Una according to the provisions of EIA Notification No: S.O. 1533 (E) Dated: 14/09/2006 on the proposal submitted by Sh. Lakhwinder Singh, Prop., M/s Lakhwinder Singh Stone Crusher & Screening Plant Unit-I, VPO Polian Beet, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) for extraction of sand, stone and bajri @ 45,475 MT/Year from Khasra Nos., 1288 & 1290 falling in Mauza Kuthar Beet, Mohal Joddian Kuthar Beet, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) over an area measuring 02-27-36 Hectares (Private Land, Hill Slope), on 12/08/2025 at 02:30 PM at Open Ground Near Panchayat Ghar of Gram Panchayat Kuthar Beet, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)

Environmental Public Hearing on the proposal submitted by Sh. Lakhwinder Singh, Prop., M/s Lakhwinder Singh Stone Crusher & Screening Plant Unit-I, VPO Polian Beet, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) for extraction of sand, stone and bajri @ 45,475 MT/Year from Khasra Nos., 1288 & 1290 falling in Mauza Kuthar Beet, Mohal Joddian Kuthar Beet, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) over an area measuring 02-27-36 Hectares (Private Land, Hill Slope), was organized by HP State Pollution Control Board, Regional Office Una on 12/08/2025 at 02:30 PM at the Open Ground Near Panchayat Ghar of Gram Panchayat Kuthar Beet, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP). This public Hearing was organized by HP State Pollution Control Board under the Chairmanship of Additional Deputy Commissioner Una cum Chairman of Environmental Public Hearing, according to prescribed process of public Hearing.

In the Public Hearing, SDM Haroli, Mining Officer Una, Officers/Officials of various Departments of local Administration, Representatives of local Gram Panchayats and residents of local & nearby villages were also present. The attendance sheet of participants in the public hearing is enclosed as **Annex-I.**

First of all, Er. Praveen Kumar, Regional Officer, HP State Pollution Control Board Una, welcomed the Chairman, Officers/Officials of various Departments of local Administration, representative of Local Panchayats, Project Proponent & their consultant and the Public. Thereafter he gave detailed information to the people present regarding organization of the Environmental Public Hearing and started the process of Environmental Public Hearing with the permission of ADC Una cum Chairman of the Environment Public Hearing.

Thereafter, the Regional Officer, HPSPCB Una requested the Consultant of the Project Proponent from M/s JMS Enviro Care & Innovative Centre, Baddi (HP) to provide the detailed information of their proposed project for the extraction/collection of sand, stone & bajri to the public. After the detailed description of various aspects of proposed mining lease project given by the consultant to the public, the Regional Officer, HP State Pollution Control Board Una asked the people present in the Environment Public Hearing to express their views, comments, suggestion and objections on the proposed mining project, without any fear and pressure from any corner.

Videography of the Public hearing was also conducted. Accordingly, the proceeding of the Environmental Public Hearing was recorded and the same is reproduced hereunder:

S. No.	Name and Address	Issues raised/Suggestions submitted	Reply of Issues raised/ Suggestions submitted
1.	Sh. Kuldeep Chand, VPO Kuthar Beet, Tehsil Haroli, District Una (HP)	He said that in the previous public hearing also, he had raised an objection and suggested that the Project Proponent should provide	

		some kind of assistance/donation for the benefit of all the villagers. Continuing this suggestion, he stated that the Project Proponent should donate one dead body freezer each to the three Mohal of the village. He informed that the Project Proponent's mining activity is being carried out at a distance of about 50 meters from his land. This mining creates problems such as dust; however, he has never opposed it. He said that both he and his land have been tolerating the dust generated by this mining. He mentioned that the provisions being stated here are not actually followed on the ground. The mining activities will continue in the same way as they have been so far. However, according to his suggestion, as compensation, the Project Proponent should donate one freezer (dead body freezer) to each of the three Mohal of the village.	
2.	Sh. Ompal, B.D.C. Member, Kuthar Beet–Polian, Tehsil Haroli, District Una (H.P.)	He said that the land of the proposed mining project is located at a distance of about 4 to 5 kilometers from the crusher. He requested that, with respect to the people whose land falls along the route of this project, the Project Proponent should first resolve all land-related matters with them amicably and with mutual consent. He mentioned that usually, disputes and conflicts arise later. Once the Project Proponent has taken the land on lease, the villagers are then asked to get their land boundaries demarcated In reality, the work is being carried out by the Project Proponent, but the responsibility for demarcation is shifted onto the villagers. He further stated that all villagers already have full knowledge of the boundaries of their ancestral lands, yet the project proponent insists on getting fresh demarcation done by the villagers, which unnecessarily creates disputes. Therefore, he requested that, for all those whose land falls in the route of the proposed mining project, the Project Proponent should resolve all	

		land-related issues with them in advance and through mutual consent.	
3.	Sh. Rakesh Kumar Sharma, Pradhan, Gram Panchayat Polian Beet, Tehsil Haroli, District Una (HP)	He warmly welcomed the Chairperson of the Environmental Public Hearing, the SDM Haroli, other officials, and the entire gathering present. He informed that the Project Proponent's stone crusher is operating in his village Polian Beet. He said that the Project Proponent carries out water sprinkling properly, whereas other crusher owners must be informed over the phone before they do sprinkling. During the summer season, so much dust rises that the road ahead is not visible. He requested the Mining Officer that, from the revenue generated from mining, the share allocated to their panchayat should be used for the construction of a bridge near the temple on the road where two-wheelers and small vehicles slip excessively, causing great difficulty in commuting. He also requested that attention be given to the road used for transportation of mining material from all four crushers. He stated that mining activities have been ongoing in their village for nearly 25 years, but so far the panchayat has received only ₹6.50 lakhs, and that too when he became Pradhan. Since then, no amount has been received by the panchayat till date. He informed that the estimate for the bridge construction, along with the relevant documents, had already been sent to the Mining Office, and in this regard, he has also met the Deputy Commissioner and ADC Una with complete documents to demand his panchayat's due share of mining revenue.	The Mining Officer, Una assured the Pradhan, Gram Panchayat Polian Beet, that necessary action on the proposal submitted by him would be implemented at the earliest.
4	Sh. Rajdeep Singh, Former B.D.C. Member, Kuthar Beet, Gram Panchayat Kuthar Beet, Tehsil Haroli, District Una (HP)	He said that the presence of officials from the Revenue Department in this public hearing is also necessary because land-related issues fall under their purview. He stated that when he himself goes to the Revenue Department for demarcation of his land, the matter remains pending for years, whereas when crusher owners	

		go, their demarcation is carried out immediately. He mentioned that he himself has been a former BDC member and has been making efforts for the past 10 years to get his land demarcated, but it has not been done to date. He further said that he has no objection to the three crushers of the Project Proponent of proposed mining lease, but other crusher owners have forcibly encroached upon their land and ask villagers to first get their land demarcated. Because of this, the villagers have to suffer repeatedly. He explained that earlier people clearly knew the boundaries of their land (from where to where), but after mining activities, neither the trees nor the boundary marks (such as choi, etc.) are left, making it difficult now to identify the extent of one's land. He suggested that the Revenue Department should properly re-demarcate the land that has already been excavated and clearly inform the owners about the extent of their land, so that no dispute arises in the future. He expressed concern that if proper demarcation is not done now, this dispute will escalate in the future, and their children will be compelled to fight over it.	
5.	Sh. Kuldeep Singh, VPO Kuthar Beet, Tehsil Haroli, District Una (HP)	He said that on the roads where tippers pass, gravel often spills at the bends, but no one pays attention to it. If due to this gravel, the rider of a two-wheeler—be it anyone's child—slips and meets with an accident, then who will be held responsible? He clarified that he has no objection to tippers moving in an overloaded condition, but the crusher owners must engage laborers to ensure regular cleaning of the roads to remove the spilled gravel. He further requested that all the local laborers employed in the mining activities here should be duly recorded in Form–B under the Mining Rules, 1955.	

During the proceedings of the public hearing and even after the programme, no written suggestion, idea, comment or objection was received.

As per the opinion of the local public, present in the Env. Public Hearing Programme, maximum people are in favour of the proposed mining project.

In the end, Er. Praveen Kumar, Regional Officer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board, Una thanked the Chairman and all other participants for participating in this environmental public hearing.

Mahendra Pal Gurjar
Additional Deputy Commissioner
Una, Distt. Una (HP)

श्री लखविंदर सिंह, प्रोप. मैसर्ज लखविंदर सिंह स्टोन क्रशर एवं स्क्रीनिंग प्लांट यूनिट–I, ग्राम व डाकघर पोलियां बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), के द्वारा खसरा संख्या 1288 एवं 1290, मौजा कुठार बीत, मोहाल जोड़ियां कुठार बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), कुल खनन क्षेत्र 02–27–36 हैक्टेयर (निजी भूमि, पहाड़ी ढलान) में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन, कुल मात्रा 45,475 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर आयोजित पर्यावरणीय जन सुनवाई की कार्यावाही का विवरण।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आज दिनांक 12.08.2025 को दोपहर 02:30 बजे, श्री लखविंदर सिंह, प्रोप. मैसर्ज लखविंदर सिंह स्टोन क्रशर एवं स्क्रीनिंग प्लांट यूनिट–I, ग्राम व डाकघर पोलियां बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), के द्वारा खसरा संख्या 1288 एवं 1290, मौजा कुठार बीत, मोहाल जोड़ियां कुठार बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), कुल खनन क्षेत्र 02–27–36 हैक्टेयर (निजी भूमि, पहाड़ी ढलान) में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन, कुल मात्रा 45,475 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत कुठार बीत के पंचायत घर के नजदीक खुला मैदान, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) में पर्यावरणीय जन सुनवाई का आयोजन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या एस ओ – 1533 (अ) दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अर्न्तगत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माननीय अतिरिक्त उपायुक्त ऊना एवं अध्यक्ष पर्यावरण जन सुनवाई की अध्यक्षता में करवाया गया।

इस पर्यावरणीय जन सुनवाई के दौरान, एस.डी.एम. हरोली, खनन अधिकारी ऊना, विभिन्न विभागो के अधिकारीगण, स्थानीय ग्राम पंचायतो के प्रतिनिधि, प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और स्थानीय व निकटवर्ती गांवो के निवासी उपस्थित थे। जनसुनवाई की उपस्थिति शीट **संलग्नक–1** के रूप मे संलग्न की गई है।

सर्वप्रथम, श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों, स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों, प्रस्तावित इकाई के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और उपस्थित जनता का अभिनन्दन किया। उन्होनें पर्यावरणीय जनसुनवाई के आयोजन के संबंध मे जनसमूह को एक विस्तृत जानकारी दी और तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से जन सुनवाई की कार्यावाही आरम्भ की गई।

तत्पश्चात, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक के परामर्शदाता (मैसर्स जे.एम.एस. एनवायरो केयर एंड इनोवेटिव सेंटर, बद्दी (हिमाचल प्रदेश) को प्रस्तावित खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी जनसमूह को देने का निवेदन किया। इसके उपरान्त प्रस्तावित खनन परियोजना के परामर्शदाता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी उपस्थित जनसमूह कों दी गई। इस विस्तृत जानकारी के उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी ऊना ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनें सुझाव, विचार, टिप्पणियां एवं आपत्तियों को बिना किसी दबाव व भय के पूछने को कहा।

इस पर्यावरण जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई। इस पर्यावरण जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार सें हैं:

क्रमांक	नाम व पता	मामले / सुझाव	उत्तर
1.	श्री कुलदीप चंद, गांव व डाकघर कुठार बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि पिछली जनसुनवाई में भी उन्होंने अपनी एक आपत्ति रखी थी और यह सुझाव दिया था कि परियोजना प्रस्तावक गाँव के लोगों के लिए किसी प्रकार का सहयोग / दान करें, जिससे सभी ग्रामवासी लाभान्वित हो सकें। इस सुझाव को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि परियोजना प्रस्तावक गाँव के तीनों मोहालों को एक–एक डेड बॉडी फ्रीजर दान स्वरूप प्रदान करें। उन्होंने बताया कि उनकी भूमि से लगभग 50 मीटर की दूरी पर परियोजना प्रस्तावक की खनन गतिविधि हो रही है। इस खनन से धूल आदि की समस्या उत्पन्न होती है, तथापि उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे और उनकी भूमि इस खनन से उत्पन्न धूल को सहन कर रहे हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि यहाँ जो प्रावधान बताए जा रहें हैं, वे धरातल पर देखने को नहीं मिलते। यह खनन कार्य जैसे अब तक चल रहा है, वैसे ही आगे भी चलता रहेगा। किंतु उनके	

		सुझाव के अनुसार, इसकी क्षतिपूर्ति के रूप में परियोजना प्रस्तावक को गाँव के तीनों मोहालों को एक–एक फ्रीजर (डेड बॉडी फ्रीजर) दान स्वरूप प्रदान करना चाहिए।	
2.	श्री ओमपाल, बी.डी.सी. सदस्य, कुठार बीत– पोलियां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि प्रस्तावित खनन परियोजना की भूमि क्रशर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उन्होंने निवेदन दिया कि जिन लोगों की भूमि इस परियोजना के रास्ते में आती है, उनके साथ परियोजना प्रस्तावक को भूमि संबंधी सभी विषयों का निपटारा पहले ही सर्वसम्मंति से कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रायः बाद में झगड़े और विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। जब परियोजना प्रस्तावक भूमि का लीज पर ले लेते हैं, तो बाद में ग्रामीणों से कहा जाता है कि वे अपनी भूमि की निशानदेही करवाएँ। जबकि वास्तव में कार्य तो परियोजना प्रस्तावक कर रहे होते हैं, परंतु निशानदेही की जिम्मेदारी ग्रामीणों पर डाल दी जाती है। उन्होंने आगे कहा कि गाँव के सभी लोगों को अपनी पुश्तैनी जमीनों की सीमाओं की पूरी जानकारी है, फिर भी परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों से नए सिरे से निशानदेही करवाने की बात करते हैं, जिससे अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। अतः उन्होंने निवेदन किया कि जिनकी भी भूमि प्रस्तावित खनन परियोजना के मार्ग में आती है, परियोजना प्रस्तावक को उनके साथ सभी भूमि संबंधी विषयों का सर्वसम्मति से पहले ही निपटारा करना चाहिए।	
3.	श्री राकेश कुमार शर्मा, प्रधान, ग्राम पंचायत पोलियां बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने अध्यक्ष पर्यावरण जनसुनवाई, एसडीएम हरोली, अन्य अधिकारियों एवं उपस्थित समस्त जनसमूह का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने बताया कि परियोजना प्रस्तावक का स्टोन क्रशर उनके गाँव पोलियां बीत में संचालित हो रहा है। उन्होंने कहा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी का छिड़काव सही ढंग से किया जाता है, जबकि अन्य क्रशर मालिकों को फोन कर सूचित करना पड़ता है, तब जाकर वे छिड़काव करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में इतनी धूल उड़ती है कि आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। उन्होंने खनन अधिकारी से अनुरोध किया कि खनन से प्राप्त राजस्व में से उनकी पंचायत को जो राशि मिलती है, उससे मंदिर के पास स्थित उस रास्ते पर एक पुल का निर्माण किया जाए, जहाँ छोटी गाड़ियों व दुपहिया वाहनो को अत्यधिक फिसलन होती है और लोगों को आवागमन में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। साथ ही, उस मार्ग की भी को भी देखा जाए, जिस पर चारों क्रशरों की खनन सामग्री का परिवहन होता है। उन्होंने कहा कि उनके गाँव में लगभग 25 वर्षों से खनन गतिविधियाँ चल रही हैं, परंतु अब तक पंचायत को मात्र ₹6.50 लाख ही प्राप्त हुए हैं, और वह भी तब जब वे प्रधान बने थे। उसके बाद से आज तक पंचायत को कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि पुल निर्माण कार्य का अनुमानित खर्च संबंधित कागजातों सहित पहले ही खनन कार्यालय को भेजा जा चुका है और इस संबंध में वे सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ उपायुक्त तथा एडीसी ऊना से मिलकर अपनी पंचायत के हिस्से की खनन राशि की माँग भी कर चुके हैं।	खनन अधिकारी, ऊना ने प्रधान, ग्राम पंचायत पोलियां बीत को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के संबंध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र ही अमल में लाई जाएगी
4.	श्री राजदीप सिंह, पूर्व बी.डी.सी. सदस्य कुठार बीत, ग्राम पंयायत कुठार बीत,	उन्होंने कहा कि इस जन सुनवाई में राजस्व विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति भी आवश्यक है, क्योंकि भूमि संबंधी समस्याएँ उन्हीं से जुड़ी होती हैं। उन्होंने बताया कि जब वे स्वयं निशानदेही करवाने के लिए राजस्व विभाग के पास जाते	

	तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	हैं तो वर्षों तक लंबित रहती है, जबकि जब क्रशर मालिक जाते हैं तो उनकी निशानदेही तत्काल कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं पूर्व बीडीसी सदस्य रहे हैं और पिछले 10 वर्षों से अपनी भूमि की निशानदेही करवाने के लिए प्रयासरत हैं, परंतु अभी तक नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना प्रस्तावक के तीनों क्रशरों से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु अन्य क्रशर मालिक जबरन उनकी भूमि पर कब्जा कर बैठे हैं और ग्रामीणों से कहते हैं कि पहले अपनी भूमि की निशानदेही करवा लो। इस कारण ग्रामीण बार–बार परेशानी झेलते हैं। उन्होंने बताया कि पहले लोगों को अपनी जमीन की सीमाएँ (कहाँ से कहाँ तक है) स्पष्ट मालूम रहती थीं, परंतु खनन गतिविधियों के बाद न तो पेड़ बचे हैं, न ही चिन्ह (चोई आदि), जिससे अब पहचानना मुश्किल हो गया है कि किसकी भूमि कहाँ तक है। उन्होंने सुझाव दिया कि राजस्व विभाग को चाहिए कि जिस भूमि की खुदाई हो चुकी है, वहाँ पुनः सही प्रकार से निशानदेही कर मालिकों को स्पष्ट बताया जाए कि उनकी जमीन किस सीमा तक है, ताकि आगे कोई विवाद न हो। उन्होंने चिंता जताई कि यदि अब निशानदेही सही ढंग से नहीं करवाई गई तो भविष्य में यह विवाद बढ़ेगा और उनके बच्चे झगड़े के लिए मजबूर होंगे।	
5.	श्री कुलदीप सिंह, गांव व डाकघर कुठार बीत, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि जिन मार्गों पर टिपर आते–जाते हैं, वहाँ मोड़ों पर अक्सर बजरी बिखर जाती है, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। यदि इस बजरी के कारण किसी दोपहिया वाहन का चालक चाहे वह किसी का भी बच्चा क्यों न हो–फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें टिपर के ओवरलोड होकर जाने से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु सड़क पर गिरी हुई बजरी को हटाने के लिए क्रशर मालिकों को श्रमिक लगाकर नियमित सफाई करवानी चाहिए। साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि यहाँ खनन कार्यों में जितने भी स्थानीय श्रमिक नियुक्त किए जाएँ, उनके नाम प्रपत्र–बी में, खनन नियम, 1955 के अंतर्गत, विधिवत् दर्ज किए जाएँ ।	

जनसुनवाई की कार्यावाही के दौरान एवं कार्यक्रम के बाद भी लिखित में कोई भी सुझाव, विचार, टिप्पणी या आपत्ति प्राप्त नही हुई।

पर्यावरणीय जनसुनवाई कार्यक्रम मे उपस्थित स्थानीय जनता की राय के अनुसार अधिकतम लोग प्रस्तावित खनन परियोजना की स्थापना के पक्ष मे हैं।

अंतः में श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऊना ने अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सभी प्रतिभागियों का इस पर्यावरण जन सुनवाई मे भाग लेने का धन्यवाद किया।

महेन्द्र पाल गुर्जर
अतिरिक्त उपायुक्त
ऊना, जिला ऊना (हि.प्र.)